न्यायालय- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 584 / 2013)

(संस्थित दिनांक :- 26/08/13)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र – मालनपुर जिला–भिण्ड, म.प्र.

.....अभियोजन।

## // विरूद्ध //

01. धर्मेन्द्र राठौर पुत्र भगवान सिंह राठौर उम्र 25 वर्ष निवासी : परसादीपुरा संकट मोचन नगर एम.ई.एस. पावर हाउस के पीछे, जिला—ग्वालियर, (म.प्र.)।

.....अभियुक्त।

<u>// निर्णय//</u> (आज दिनांक :- 10/11/2016 को घोषित)

- 01. आरोपी धर्मेन्द्र राठौर पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा :— 279 एवं 338 "02 काउण्ट" के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :— 27/07/2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सतीश एवं आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।
- 02. प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी / आहत सतीश के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान स्वीकृत एक तथ्य है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 27/07/2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 के चालक धर्मेन्द्र राठौर द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी सतीश एवं ब्रजराज को टक्कर मारने की मौखिक रिपोर्ट उसी दिनांक को फरियादी सतीश द्वारा थाना मालनपुर पर की जाने पर, पुलिस थाना मालनपुर में उक्त वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 के चालक धर्मेन्द्र राठौर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 155/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। फरियादी/आहत सतीश एवं ब्रजराज की एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने से भा.द.सं. की धारा 338 का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 को जब्त कर

जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सतीश, आहत ब्रजराज, साक्षी रामवीर गुर्जर के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 ''02 काउण्ट'' भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी/आहत सतीश के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 ''01 काउण्ट'' भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :— 27/07/2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?
  - 03. अंतिम निष्कर्ष ?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्दू कमांक : 01 एवं 02

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. फरियादी सतीश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी धर्मेन्द्र को नहीं जानता। घटना दिनांक : 27 / 07 / 2013 की दोपहर 03:45 बजे की एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ की है। साक्षी आगे कहता है कि जब वह गोहद से शनिचरा मोटर साईकिल से जा रहा था, उसके साथ रामवीर भी था। साक्षी आगे कहता

है कि जैसे ही वह एटलस चौराहा के आगे रैनबैक्सी चौराहा पर पहुँचा तो एक गाडी के चालक ने उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह लोग गिर पड़े, जिससे उसके दाहिने हाथ, दायने पैर में चोट आई थी और मोटर साईकिल पर सवार ब्रजराज के पैर में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा–मौका प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसे ईलाज के लिए गोहद अस्पताल भेजा था एवं पुलिस ने उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी सतीश अ.सा.02 ने आरोपी धर्मेन्द्र द्वारा दिनांक :— 27 / 07 / 2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07 / बी.ए. / 2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उसे एवं आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत फरियादी सतीश अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभाष की प्रकृति के है।

09. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी रामवीर अ.सा.03 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी द्वारा दिनांक :— 27/07/2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं फरियादी सतीश एवं आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और ना ही इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन किया है।

10. अभियोजन को आहत ब्रजराज की उपस्थिति के लिए उन्नीस अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी अभियोजन आहत ब्रजराज की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असफल रहा है और अभियोजन का ब्रजराज के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुति करने का अवसर समाप्त किया गया। इस प्रकार अभियोजन आहत सतीश अ.सा.02 एवं कथित चक्षुदर्शी साक्षी रामवीर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है, जो घाटना दिनांक समय एवं स्थान पर आरोपी धर्मेन्द्र राठौर द्वारा वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी. 07 / बी.ए. / 2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं फरियादी सतीश एवं आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित करने का उल्लेख करते हो। इसी कारण डॉ.राजेन्द्र तरेटिया अ.सा. 01 राधेश्याम जाट अ.सा.04 एवं श्याम प्रताप सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की विवेचना पृथक से किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उक्त साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

- 11. आरोपी एवं आहत सतीश के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है और आहत सतीश अ.सा.02 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।
- 12. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी धर्मेन्द्र ने दिनांक :— 27/07/2013 को दोपहर लगभग 03:45 बजे एटलस चौराहा भिण्ड रोड़ ग्वालियर के आगे रेनवैक्सी चौराहा मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07/बी.ए./2852 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आहत ब्रजराज को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।
- 13. अभियोजन आरोपी धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा 279 एवं 338 "01 काउण्ट" भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 एवं 338 "01 काउण्ट" के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 14. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टवेरा क्रमांक एम.पी.07 / बी.ए. / 2852 उसके पंजीकृत स्वामी महेश के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद